पत्रांक–05 / बी02–12 / 2015
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना

प्रेषक,

के०वी०एन० सिंह,
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक .... /

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर–योजना अन्तर्गत इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा) एवं व्यावसायिक शिक्षा कर्मियों के स्थापना मद में रू0 **1,16,14,723 / –(एक करोड़ सोलह लाख चौदह हजार सात सौ तेईस रू0)** मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष –03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–103–राजकीय कॉलेज तथा संस्थान, उप शीर्ष–0001–इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा), विपत्र कोड संख्या–एन 2202031030001 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षो में वेतनादि एवं व्यावसायिक एवं विषेश सेवाएँ मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 **1,16,14,723 / –(एक करोड़ सोलह लाख चौदह हजार सात सौ तेईस रू0)** मात्र संलग्न विवरणी अनुसार अतिरिक्त आवंटित की जाती है।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 (वि0–2), दिनांक–17.04.1998 300(वि), दिनांक–08.05.2009 एवं 396 दिनांक–24.04.2015 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।

3 प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।

6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतन का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(के०वी०एन० सिंह),
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांकः– 301 पटना, दिनांकः– 6/1/16

प्रतिलिपिः–संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा) का कोषांग/संबंधित सहायक प्रशाखा–05/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/1/16
(के०वी०एन० सिंह),
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–103–राजकीय कॉलेज तथा संस्थान, उप शीर्ष–0001–इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा), विपत्र कोड–एन 2202031030001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में अतिरिक्त आवंटित राशि की विवरणी :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन एवं भत्ते	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	कुल योग	पत्रांक / दिनांक
	कुट संख्या	01 01	01 03	01 04	01 05	01 06	01 07		11 01	13 01		
1	सहरसा	1414000	1583000	30000	0	11000	0	**3038000**	0	0	**3038000**	683 / 26.11.15
2	पूर्णियाँ	1066000	1900000	0	0	0	0	**2966000**	26800	43000	**3035800**	1057 / 11.10.15
3	जमुई	253000	370000	26000	0	46000	2000	**697000**	0	0	**697000**	335 / 22.09.15
4	किशनगंज	1027000	1181000	82000	0	7600	8000	**2305600**	2800	3000	**2311400**	878 / 23.11.15
5	समस्तीपुर	909000	1106000	90923	0	7000	0	**2112923**	0	0	**2112923**	1473 / 9.12.15
6	कटिहार	225000	180000	12500	0	2100	0	**419600**	0	0	**419600**	1132 / 13.12.15
	कुल योग :–	**4894000**	**6320000**	**241423**	**0**	**73700**	**10000**	**11539123**	**29600**	**46000**	**11614723**	

कुल (एक करोड़ सोलह लाख चौदह हजार सात सौ तेईस) रूपये मात्र।

5/1/16
(के०वी०एन० सिंह)
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
संजीव